न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी : प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 55/2023

वादपत्र अन्तर्गत धारा : 88,53 आर.टी.ए.

1. हरदविन्द्र कौर पत्नी हरदीश सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

— वादी

बनाम्

1. मनिन्द्र कौर पत्नी गुरछविन्द्र सिंह पुत्र हरदीश सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
2. रामअंशसिंह पुत्र गुरछविन्द्र सिंह जरीये कुदरती वली माता मनिन्द्र कौर पत्नी गुरछविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
3. सुखमनी कौर पुत्री गुरछविन्द्र सिंह जरीये कुदरती वली माता मनिन्द्र कौर पत्नी गुरछविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
4. कुलदीप सिंह पुत्र सुखमन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
5. जसपाल कौर पत्नी सुखमन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
6. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. **श्री नरेश मण्डा — अधिवक्ता वादी**
2. **श्री संजय धारणिया — अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1,2 व 3**
3. **श्री राधे शर्मा — अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4 व 5**

निर्णय

वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस न्यायालय में पेश किया गया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि चक 8 बीजीपी जमाबंदी सम्वत 2073—2076 जमाबन्दी 2078 के खाता सं. 84/24 वादीया के नाम 0.

539 है. एवं वादीया के पुत्र गुरछविन्द्र सिंह के नाम 1.078 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीया के पुत्र की मृत्यू हो चुकी है, जिसके जायज वारीसान वादीया व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 है। उक्त कृषि भूमि के घरू बटवारे अनुसार चक 8 बीजीपी जमाबंदी सम्वत 2073–2076 जमाबन्दी 2078 के खाता संख्या 84/24 में दर्ज कुल कृषि भूमि 3.921है. भूमि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हिस्सा में आई है। प्रतिवादी संख्या 1, 4 व 5 ने अपने हिस्से का परित्याग कर दिया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में दिनांक 11.09.2023 को वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3(प्रतिवादी संख्या 2 व 3 नाबालिग जरिए कुदरती वली माता) के मध्य राजीनामा पेश किया गया। दिनांक 19.12.2023 को प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जबाब पेश किया तथा उक्त बंटवारा स्वीकार किया (संलग्न फैसला का पेज नं. 3 व 4)।

क्रियात्मक आदेश

वाद पर गौर किया गया। वाद में वर्णित खाता विवादित श्रेणी का है। पक्षकार एक ही परिवार के सदस्य है। इसलिए पक्षकारान द्वारा किया गया आपसी राजीनामा व प्रतिवादी संख्या 1,4 व 5 द्वारा किया गया हक त्याग विधिसम्मत है। अतः वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत स्वीकार किया जाता है। वाद में वर्णित चक 8 बीजीपी के खाता संख्या 84/24 में से प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता गुरछविन्द्र सिंह का नाम व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्त चक 8 बीजीपी के खाता संख्या 84/24 की भूमि में 1. हरदविन्द्र कौर पत्नी हरदीश सिंह को 3.113है., 2. रामअंश सिंह पुत्र गुरछविन्द्र सिह को 0.404है. संरक्षक दादी हरदविन्द्रकौर पत्नी हरदीश सिंह, 3. सुखमनी कौर पुत्री गुरछविन्द्रसिंह 0.404है. संरक्षक दादी हरदविन्द्र कौर पत्नी हरदीश सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तह. संगरिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार भूमि के रहनमुक्त हो जाने के पश्चात आदेश के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद करें।

आदेश मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 26.12.2023 को जारी किया गया। अलग से डिक्री जारी करने की जरूरत नहीं है। आदेश को ही डिक्री समझा जाएगा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(प्रभजोत सिंह गिल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया